

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक:-स. 3(3)(2) रथा / मंत्रा. / सविदा / अभि. / 19/

जयपुर, दिनांक:- 14.02.2020

-:: आदेश ::-

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी. ओ.पी. ए.11/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री कैलाश चन्द नामा, सीनियर रीडर, न्याय विभाग	12.10.57	एडीपी टोंक	प्रथम बार
2.	श्री बसन्ती लाल त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक, शिक्षा विभाग	09.09.56	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
3.	श्रीमती सुमन माथुर, रीडर, न्याय विभाग	01.06.59	एडीपी उदयपुर	प्रथम बार
4.	श्री शम्भू दयाल वर्मा, वरिष्ठ सहायक, शिक्षा विभाग	06.01.57	एडीपी सवाईमाधोपुर	प्रथम बार
5.	श्री पुखराज, रीडर, न्याय विभाग	01.06.59	एडीपी पाली	प्रथम बार
6.	श्री नन्दकिशोर जोशी, वरिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	26.06.58	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
7.	श्री हीराराम मीणा, अति.प्रशा.अधि. शिक्षा विभाग	01.01.59	एडीपी पाली	प्रथम बार
8.	श्री ज्येष्ठानन्द वैध, अति.प्रशा.अधिकारी, अभियोजन विभाग	01.09.59	एडीपी पाली	प्रथम बार
9.	श्रीमती शकुन्तला स्वर्णकार, वरिष्ठ सहा., अभियोजन विभाग	20.07.59	एडीपी जयपुर द्वितीय	प्रथम बार
10.	श्री सोहन लाल, सहायक प्रशा. अधिकारी, भूजल विभाग	07.09.55	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
11.	श्री श्रवण कुमार, अति.प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	16.10.59	एडीपी बाडमेर	प्रथम बार
12.	श्री विनोद कुमार शर्मा, सहा.प्रशा. अधिकारी, गृह रक्षा विभाग	01.08.59	एडीपी बीकानेर	प्रथम बार
13.	श्री रजाक मोहम्मद मंसूरी, कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद (राजस्व) विभाग	05.07.59	एडीपी झालावाड	प्रथम बार
14.	श्री विनोद कुमार माथुर, अति.प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग	21.09.59	एडीपी नागौर	प्रथम बार
15.	श्री पूरण चन्द बैरवा, प्रशासनिक अधिकारी, बीमा विभाग	02.05.57	एडीपी द्वितीय जयपुर शहर	प्रथम बार
16.	श्री ओमकार प्रसाद मीना, अति.प्रशा. अधि., अभियोजन विभाग	19.10.59	एडीपी अलवर	प्रथम बार
17.	श्री लाल चन्द वरिष्ठ सहायक., न्याय विभाग	05.06.59	एडीपी अलवर	प्रथम बार
18.	श्री गजेन्द्र प्रसाद माथुर, सहा.प्रशा.अधि. शिक्षा विभाग	01.12.57	एडीपी नागौर	द्वितीय बार

19.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, रीडर, न्याय विभाग	04.07.55	एडीपी टॉक	द्वितीय बार
20.	श्री दिनेश चन्द पाण्डेय, प्रशा. अधि., बीमा विभाग	20.03.57	एडीपी जोधपुर	द्वितीय बार
21.	श्री सरदाराम डांगी, वरिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	05.06.57	एडीपी जोधपुर	द्वितीय बार
22.	श्री मूल चन्द शर्मा, कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	10.03.58	एडीपी जोधपुर	द्वितीय बार
23.	श्री पदमा राम, वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	01.07.57	एडीपी सिरोही	द्वितीय बार
24.	श्री सीताराम राव, अति.प्रशा.अधि. अभियोजन विभाग	14.07.58	एडीपी प्रथम जयपुर शहर	द्वितीय बार
25.	श्री प्रताप मल बैरवा, बीमा पर्यवेक्षक बीमा विभाग	08.07..58	एडीपी टॉक	द्वितीय बार
26.	श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहा.प्रशा.अधि. राजस्व विभाग	05.07.57	एडीपी टॉक	द्वितीय बार
27.	श्री प्रकाश चन्द भट्ट, अति.प्रशा.अधि. अभियोजन विभाग	02.07.58	एडीपी भीलवाडा	द्वितीय बार
28.	श्री बालूराम माली, अति.प्रशा.अधि. अभियोजन विभाग	25.06.59	एडीपी भीलवाडा	द्वितीय बार
29.	श्री कैलाश चन्द गारु, सहा.प्रशा.अधि. जल संसाधन विभाग	12.05.57	एडीपी भीलवाडा	द्वितीय बार
30.	श्री शांति लाल धोबी, सहा.प्रशा.अधि. जल संसाधन विभाग	02.02.57	एडीपी भीलवाडा	द्वितीय बार
31.	श्री कजोडमल महावर, कनि.सहायक, शिक्षा विभाग	10.05.58	एडीपी बांरा	द्वितीय बार
32.	श्री बिरधी लाल नागर, वरिष्ठ सहायक, आर्थिक एवं सांख्यिकि विभाग	13.03.57	एडीपी बांरा	द्वितीय बार
33.	श्री मदनलाल पंवार, वरिष्ठ रिडर, न्याय विभाग	24.09.56	एडीपी, हनुमानगढ	द्वितीय बार
34.	श्री ओमप्रकाश सिंह, सहा.प्रशा.अधिकारी, राजस्व विभाग	01.07.58	एडीपी, हनुमानगढ	द्वितीय बार
35.	श्री अर्जुन लाल बुनकर, सहा.प्रशा. अधिकारी, अभि.विभाग	15.05.58	एडीपी, जयपुर देहात	द्वितीय बार
36.	श्री पूरण सिंह, सहा निदेशक, बीमा विभाग	05.12.57	एडीपी, जयपुर देहात	द्वितीय बार
37.	श्री मंगल सिंह झाला, वरिष्ठ मुसरिम, न्याय विभाग	12.10.56	एडीपी, अजमेर	द्वितीय बार
38.	श्री सोहन लाल तालापा, सहा.प्रशा. अधि., गृह रक्षा विभाग	01.06.58	एडीपी, अजमेर	द्वितीय बार
39.	श्री अमर सिंह जाटव, रीडर न्याय विभाग	01.07.57	एडीपी, अजमेर	द्वितीय बार
40.	श्री अरुण कुमार राठौड, प्रशा.अधि., रा. रा.प.प. निगम विभाग	04.02.58	एडीपी, अजमेर	द्वितीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधधीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवारे किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Ed

(एस.एन.व्यास)

विशिष्ट शासन सचिव गृह

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
3. सूचना सहायक अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

14/2/2020

विशिष्ट शासन सचिव गृह